न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व वाद 29/2015

वादीगण :–

1. गीगीदेवी पत्नी घेवरचंद जाति पालीवाल निवासी बुडीवाडा हाल निवासी सिणली जागीर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
2. कमलादेवी पत्नी श्री भंवरलाल जाति माली निवासी बोरावास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामलाल पुत्र गुणेशाराम जाति पालीवाल
2. देवाराम पुत्र गुणेशाराम जाति पालीवाल निवासी मूंगडा तहसील पचपदरा, बाडमेर
3. .राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत बंटवाडा व निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री ओ. पी डाबी वादीगण वकील
2.श्री प्रियतम आजाद प्रतिवादीगण वकील

निर्णय दिनांक :– 03.09 .2020

वादीगण ने यह राजस्व वाद बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जो संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :– वादीगण के मौजा बिठुजा तहसील पचपदरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की संयुक्त सामलाती खातेदारी भूमि खेत खसरा न0 74 रकबा 0.15 विस्वा खसरा न0 75 रकबा 95 बीघा 17 विस्वा में स्थित है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 संयुक्त सामलाती खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सी.पी.सी का दिनांक 23.03.2017 को प्रस्तुत किया। जिसका जवाब प्रार्थना पत्र वादीगण द्वारा दिनांक 10.01.2019 को प्रस्तुत किया जिस पर उभय पक्ष बहस सुनी गई :– प्रतिवादीगण के वकील द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोराते हुए न्यायालय हाजा को अवगत कराया कि वादग्रस्त आराजी खसरा न0 74 व 75 के सम्बध में एक पूर्वती वाद सं0 78/2002 न्यायालय हाजा में विचाराधीन की पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद पोषनीय नही है क्यों कि दोनो राजस्व वादों की विवादित आराजी समान ही एवं दोनो वादों की विषय वस्तु, पक्षकार एवं अनुतोष भी समान है जो कि धारा 10 सी.पी.सी से बाधित है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 78/2002 बउनवान मथरा/जयनारायण में घोषणा खातेदारी एवं तकास्मा का अनुतोष चाहा गया है एवं वर्तमान वाद सं. 29/2015 बउनवान गीगीदेवी/रामलाल में भी तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जो कि समान अनुतोष है। पूर्ववर्ती वाद में प्रतिवादीगण द्वारा अपना काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है एवं जिस पर न्यायालय हाजा के निर्णय पारित करना है। पूर्ववर्ती वाद की वादीनी द्वारा वाद ने विचाराधीन रहते हुए इस वर्तमान वाद के वादीगण को विवादित आराजी की सम्पति का बेचान किया गया है। जिससे वर्तमान वाद में उपचार का अधिकार वादीगण के उनके हक पूर्वाधिकारी के खातेदारी

लगातार पेज न..... 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Kumar
Date: 2020.11.06 12:57:01 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

अधिकारी की घोषणा के दावे में सफलता पर निर्भर करता है। जो कि न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया जाना है। इसलिए पूर्ववर्ती वाद का अंतिम रूप से निस्तारण नही होने तक वर्तमान वाद की कार्यवाही को आगे नही चलाया जाना ही न्यायोचित है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि पक्षकारों के मध्य वाद की बाहुल्यता को रोकने के लिए भी वर्तमान वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां एक ही विषय वस्तु की सम्पति के सम्बन्ध में कोई पूर्ववर्ती वाद विचाराधीन है तो पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही का स्थगित कर दिया जाना चाहिए। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

2016 (3) डी.एन.जे (राज) 1199, 2009 (3) डी.एन.जे (राज) 1402, 2009 (2) डी.एन.जे (राज) 1503, 2009 (1) डी.एन.जे (राज) 224 एवं निवेदन किया कि पश्चातवर्ती/ वर्तमान वाद को स्थगित किया जावें।

वादीगण के वकील द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद सं. 78/2002 बअनवान मथरादेवी/ जयनारायण में न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान एवं पश्चातवर्ती वाद में पक्षकार समान नहीं है व वाद हेतुक समान नहीं है। तथा पूर्ववर्ती वाद एवं वर्तमान वाद दो अलग–अलग वाद है। इसलिए वर्तमान वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों का ध्यान पूर्वक अवलोकन व विशलेषण किया गया पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चातवर्ती की विवादित आराजी समान है तथा दोनो ही वादो की विषय वस्तु समान है एवं पक्षकारों द्वारा चाहा गया अनुतोष भी समान है। वादो की बाहुल्यता को भी रोका जाना चाहिए जिससे न्यायालय का समय व्यर्थ ना हो एवं पक्षकारों के भी पूर्व न्याय मिल सके। पूर्ववर्ती वाद की वादीनी द्वारा वाद के विचाराधीन रहते हुए इस वर्तमान वाद के वादीगण को विवादित आराजी की सम्पति का बेचान किया गया है जिसमे वर्तमान वाद में उपचार का अधिकार वादीगण के उनके हक पूर्वाधिकार के अधिकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के दावे में सफलता पर निर्भर करता है, जो कि पूर्ववर्ती वाद में निर्णित किया जाना है, उक्त आधार पर भी पश्चातवर्ती वाद को स्थगित किया जाना आवश्यक है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पूर्ववर्ती वाद सं. 78/2002 बअनवान की मथरा / जयनाराण में निर्णय नहीं हो जाता तब तक पश्चातवर्ती वाद संख्या 29/2015 बअनवान गीगीदेवी/ रामलाल की कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक समझता है । तथा सबंधित पक्षकरारों को कोई उज्र हो तो पूर्ववर्ती वाद में अपना –अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सी.पी.सी को स्वीकार किया जाता है, वाद संख्या 29/2015 बउनवान गीगादेवी/रामलाल की कार्यवाही को स्थगित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांक 03.09.2020 को सुनाया गया

(रोहित कुमार)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Kumar
Date: 2020.11.06 12:37:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner